झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–06

पंचदश (बजट) सत्र
शुक्रवार, दिनांकः–01 मार्च, 2024 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 4:55 अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–23

(क) उत्तरित कुल–03	क्र०सं०–80, श्री विनोद कुमार सिंह,	स0वि0स0 (दिनांक–29.02.2024 से स्थगित)
	क्र०सं०–101, श्री अमित कुमार यादव,	स0वि0स0
	क्र०सं०–102, श्री समीर कुमार मोहन्ती,	स0वि0स0
	क्र०सं०–103, श्री सरयू राय,	स0वि0स0
(ख) अनागत कुल–20	क्रम संख्या–104 से 123 तक।	

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–32

(क) उत्तरित कुल–03	क्र०सं०–114, श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
	क्र०सं०–115, सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
	क्र०सं०–116, श्री लोबिन हेम्ब्रम	स0वि0स0
(ख) अनागत कुल–29	क्र० सं०–117 से 145 तक।	

(प्रश्नकाल के दौरान बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य श्री भानुप्रताप शाही ने सूचना पर खड़े होकर बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा झारखण्ड में कई कल्याणकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। सदन की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना चाहिए।)

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा राज्य में वर्तमान बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली दर का बोझ डालने संबंधी विषय पर दी गयी कार्यस्थगन की सूचना चलते सत्र में चर्चा संभव होने के कारण उक्त सूचना को अमान्य किया गया।

3. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्री भूषण तिर्की	स0वि0स0
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0

श्री समीर कुमार मोहन्ती	स0वि0स0
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स0वि0स0
श्री जिगा सुसारण होरो	स0वि0स0
सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
श्री भूषण बड़ा	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
श्री विनोद कुमार सिंह	स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0
श्री आलोक कुमार चौरसिया	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्री अनन्त कुमार ओझा	स0वि0स0
श्री अमित कुमार मण्डल	स0वि0स0
श्रीमती सुनिता चौधरी	स0वि0स0

4. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

आसन की अनुमति से प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–304(6) के आलोक में पंचम् झारखण्ड विधान–सभा के द्वादश (मानसून) सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये शून्यकाल की सूचनाओं से संबंधित प्राप्त उत्तर की संकलित प्रतियाँ सभा पटल पर उपस्थापित की गई।

5. सभा पटल पर प्रतिवेदन का उपस्थापन

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम् प्रतिवेदन की प्रति झारखण्ड विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

6. आसन से सूचना

आसन से सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया गया कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा गत वर्ष की भांति बजट सत्र के समापन के पूर्व राजभवन, राँची के बिरसा मण्डप में आज दिनांक–01.03.2024 (शुक्रवार) को संध्या 07:00 बजे रात्रि भोज का आयोजन किया गया है।

आप सभी माननीय सदस्यगण आज शाम 07:00 बजे राजभवन में आयोजित रात्रि भोज में सादर आमंत्रित हैं।

(इस अवसर पर सूचना पर खड़े होकर श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स0वि0स0 ने सूचित किया कि एक बहन की शल्य क्रिया, झारखण्ड के चिकित्सक के द्वारा किया गया और ऑपरेशन के दौरान 20 सेमी x 38 सेमी का कपड़ा पेट में छोड़ दिया गया। मरणासन्न स्थिति में दो माह बाद पुनः टाटा के अस्पताल में ऑपरेशन कर कपड़ा निकाला गया। वैसे डॉक्टर को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई।)

7. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) के माननीय प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) मांग संख्या–04 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 73,87,04,000/–(तिहत्तर करोड़, सतासी लाख, चार हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान करने हेतु प्रस्ताव किया गया, जिसपर माननीय सदस्य सर्वश्री नवीन जयसवाल, मनीष जायसवाल, अनन्त कुमार ओझा, अमित कुमार मण्डल, डॉ0 नीरा यादव, बिरंची नारायण, विनोद कुमार सिंह, डॉ0 लम्बोदर महतो एवं अमित कुमार यादव से प्राप्त कटौती प्रस्ताव (संख्या 47 से 55) का उल्लेख आसन से किया गया। पुनः आसन की अनुमति से श्री नवीन जयसवाल ने अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(सूचना पर खड़े होकर श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 ने सदन को अवगत कराया कि राँची के मोराबादी में भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए राँची नगर निगम द्वारा अनुमति दी गयी थी, परन्तु जिला प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण किसी निर्धारित जगह पर प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप भगत सिंह की प्रतिमा अभी हाजत में रखी हुई है। जिला प्रशासन एवं राँची नगर निगम सामंजस्य स्थापित कर किसी उपयुक्त जगह पर यथाशीध्र भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करे।
{डॉ0 इरफान अंसारी ने सदन को सूचित किया कि जेपीएससी की परीक्षा होने जा रही है। ऑनलाईन पॉर्टल क्रैश हो गयी है। कल अंतिम तिथि थी। छात्र हित में कृपया तिथि बढ़ायी जाय।}

8. वित्तीय कार्य (क्रमांक–7 से जारी)

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत व्यय विवरणी पर आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री नवीन जयसवाल ने चर्चा प्रारंभ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लियाः–

श्री जिगा सुसारण होरो
(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया)
श्री जय प्रकाश भाई पटेल
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)
श्री नमन विक्सल कोनगाडी
श्रीमती सुनिता चौधरी
श्री प्रदीप यादव
श्री वैद्यनाथ राम
श्री अमित कुमार मण्डल
श्री विनोद कुमार सिंह
श्री सुदिव्य कुमार

सूचनाः– 1. माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला ने सूचना पर खड़े होकर कहा कि जेपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है। अभी सीओ/बीडीओ चुनाव के प्रशिक्षण में है। जाति एवं आय प्रमाण–पत्र नहीं बन पा रहा है। ओबीसी के छात्रों को सामान्य वर्ग में निबंधन करना पड़ रहा है। आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की गई।)

2. सूचना पर खड़े होकर श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स0वि0स0 ने कहा कि पिछली बार गैर सरकारी संकल्प में आश्वासन दिया गया था कि हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की शुरूआत हो जायेगी। अनुदान देने की बात कही गई। साथ ही तीन साल के बाद जल सहियाओं से उनके जल सहिया होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। मानदेय के लिए राशि जा चुकी है। शीध्र भुगतान का आग्रह किया गया।

3. माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने सदन को सूचित किया कि साहेबगंज पिछड़ा जिला है, जिसकी कई योजना, कृषि कॉलेज विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज आदि की मांग ठंडे बस्ते में

है। बार–बार मांग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री सैद्धांतिक सहमति दे चुके हैं। लंबित योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन कराया जाय।

(चर्चा के क्रम में विपक्षी सदस्यों का 04:29 अप0 में सदन से बहिर्गमन)

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदान की मांगों पर सभा में सरकार की ओर से उत्तर दिया, जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य श्री नवीन जयसवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव, प्रस्तावक सदस्य की अनुपस्थिति एवं विपक्ष के वहिर्गमन के बीच ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त आसन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए मुखबंद द्वारा समेकित रूप से मांग संख्या–02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एवं 60 का प्रस्ताव ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

9.विधायी कार्य

"झारखण्ड विनियोग (संख्या–02) विधेयक, 2024"

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 एवं खण्ड–03, अनुसूची, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड विनियोग (संख्या–02) विधेयक, 2024"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

आसन द्वारा घोषणा की गई कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–263(1) के तहत् पंचदश (बजट) सत्र में प्राप्त निवेदन में से 28 की स्वीकृति का प्रस्ताव है। यदि सदन की सहमति हो, तो संबंधित विभाग को भेज दी जाए।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही शनिवार, दिनांक–02 मार्च, 2024 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

राँची,
दिनांक–01 मार्च, 2024